

भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और नविश समझौते

प्रलिमिस के लिये:

मुक्त व्यापार समझौता, डेटा सुरक्षा, गैर-टैरफि बाधाएँ, भारत-यूरोपीय संघ शर्खिर सम्मेलन, यूरोपीय संघ, मोस्ट फेवरड नेशन


मेन्स के लिये:

भारत-ईयू व्यापार और नविश समझौते, गतरीध की ओर ले जाने वाले मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ ने नई दलिली में भारत-यूरोपीय संघ व्यापार एवं नविश समझौतों के लिये पहले दौर की वार्ता की।

- वार्ता के दौरान मुक्त व्यापार समझौते की 18 नीतियों पर 52 सत्र आयोजित किये गये। नविश सुरक्षा और अन्य विषयों पर सात सत्र आयोजित किये गये।
- दूसरे दौर की वार्ता सितंबर 2022 में बुसेलस में आयोजित की जाएगी।



भारत-यूरोपीय संघ व्यापार और नविश समझौता क्या है?

- पृष्ठभूमि:

- भारत और यूरोपीय संघ ने एक व्यापक मुक्त व्यापार समझौता (FTA) करने के लिये वर्ष 2007 में बातचीत शुरू की थी, जसे आधिकारिक तौर पर BTIA कहा जाता है।
- BTIA को वस्तुओं, सेवाओं और निविशों में व्यापार को शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया था।
- हालाँकि बाज़ार पहुँच और पेशेवरों की आवाजाही पर मतभेदों को लेकर वर्ष 2013 में बातचीत ठप हो गई।
- **क्षेत्र:**
 - यूरोपीय संघ के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021-22 में 116 बिलियन डॉलर से अधिक का था।
 - वैश्वक व्यवधानों के बावजूद द्विपक्षीय व्यापार ने वर्ष 2021-22 में 43% से अधिक की प्रभावशाली वार्षिक वृद्धि हासलि की।
 - वर्तमान में यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, साथ ही भारतीय नियायित के लिये दूसरा सबसे बड़ा गतव्य है।
 - भारत में विदेशी निविश प्रवाह में यूरोपीय संघ (EU) की हस्सेदारी पछिले दशक में 8% से बढ़कर 18% हो गई है जिससे यूरोपीय संघ भारत में पहला विदेशी निविशक बन गया है।

संबंधित चुनौतियाँ:

- सबसे पसंदीदा राष्ट्र (Most-Favoured Nation):
 - EU निविश संधि अभ्यास अपनी निविश संधियों में सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र (MFN) प्रावधान को शामिल करने की अपनी उत्सुकता को दर्शाता है।
 - भारत निविश संधियों में MFN प्रावधान को शामिल करने के खिलाफ है।
- निषिक्ष और न्यायसंगत व्यवहार:
 - यूरोपीय संघ अपनी निविश संधियों में उचिती और न्यायसंगत उपचार (FET) प्रावधान शामिल करता है।
 - FET एक महत्वपूर्ण वास्तविक सुरक्षा सुविधा है जो विदेशी निविशकों को मनमाने व्यवहार के लिये राज्यों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाती है।
 - भारत की मॉडल द्विपक्षीय निविश संधि और हाल ही में भारत द्वारा हस्ताक्षरित निविश संधियों में FET प्रावधान अनुपस्थिति है।
- बहुपक्षीय निविश न्यायालय:
 - यूरोपीय संघ मौजूदा मध्यस्थता-आधारित निविशक-राज्य विविद निविश (ISDS) प्रणाली में सुधार हेतु बहुपक्षीय निविश न्यायालय (MIC) को बढ़ावा दे रहा है।
 - फरि भी MIC पर भारत की आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। भारत ने MIC स्थापित करने की दिशा में चल रही बातचीत में योगदान नहीं दिया है, जो एक ऐसे देश के लिये हैरान करने वाला है जो नियम आधारित वैश्वक व्यवस्था का समर्थन करता है।
- गैर-टैरफि बाधाएँ:
 - स्नेटिसी और फाइटो-सेनेटरी (SPS) उपायों के रूप में भारतीय कृषिउत्पादों पर बहुत कठोर गैर-टैरफि बाधाओं की उपस्थिति है और ये यूरोपीय संघ को कई भारतीय कृषिउत्पादों को अपने बाज़ारों में प्रवेश करने से रोकने में सक्षम बनाते हैं।
 - यूरोपीय संघ ने फार्मास्यूटिकल्स में गैर-टैरफि बाधाओं को विश्व व्यापार संगठन गुड मैन्युफैक्चररिंग प्रैक्टिस प्रमाणन, आयात प्रतिबंध, एंटी-डंपिंग उपायों और पूरव-शपिमेंट नियिक्षण की आवश्यकताओं में शामिल किया है।

यूरोपीय संघ:

- परिचय:
 - यूरोपियन यूनियन 27 देशों का एक समूह है जो एक संसकृत आर्थिक और राजनीतिक ब्लॉक के रूप में कार्य करता है।
 - इसके 19 सदस्य देश अपनी आधिकारिक मुद्रा के तौर पर 'यूरो' का उपयोग करते हैं।
 - जबकि 8 सदस्य देश (बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेक गणराज्य, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एवं स्वीडन) यूरो का उपयोग नहीं करते हैं।
 - यूरोपीय देशों के मध्य सदयों से चली आ रही लड़ाई को समाप्त करने के लिये यूरोपीय संघ के रूप में एक एकल यूरोपीय राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा विकसित हुई जिसका द्वितीय विश्व युद्ध के साथ समाप्त हुआ और इस महाद्वीप का अधिकांश भाग समाप्त हो गया।
 - EU ने कानूनों की मानकीकृत प्रणाली के माध्यम से एक आंतरिक एकल बाज़ार (Internal Single Market) विकसित किया है जो सभी सदस्य राज्यों के मामलों में लागू होता है और सभी सदस्य देशों की इस पर एक राय होती है।
- भारत के लिये यूरोपीय संघ का महत्व:
 - यूरोपीय संघ शांतिको बढ़ावा देने, रोज़गार सृजन करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और देश भर में सतत विकास को बढ़ाने के लिये भारत के साथ मिलकर काम करता है।
 - वर्ष 2017 में EU-भारत शिखिर समझौता में नेताओं ने सतत विकास के लिये एज़ॅंडा 2030 के क्रियान्वयन पर सहयोग को मज़बूती प्रदान करने के लिये अपने इरादे को दोहराया और भारत-EU विकास संवाद के विस्तार हेतु सहमत हुए।

आगे की राह

- भू-आर्थिक सहयोग: भारत सुरक्षा दृष्टिकोण से नहीं तो भू-आर्थिक रूप से इंडो-पैसिफिक मामलों में यूरोपीय संघ के देशों के साथ संलग्न हो सकता

है।

- यह क्षेत्रीय बुनियादी ढाँचे के सतत् विकास के लिये बड़े पैमाने पर आरथकि संसाधन जुटा सकता है, राजनीतिक प्रभाव को नियंत्रित कर सकता है तथा इंडो-पैसफिकि संवाद को आकार देने के लिये अपने महत्त्वपूर्ण सॉफ्ट पावर का लाभ उठा सकता है।
- **भारत-यूरोपीय संघ BTIA संधिको अंतमि रूप देना:** भारत और यूरोपीय संघ एक मुक्त-व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन यह 2007 से लंबति है।
 - इसलिये भारत और यूरोपीय संघ के बीच घनष्ठि अभिसरण के लिये दोनों को व्यापार समझौते को जलद से जलद अंतमि रूप देने में संलग्न होना चाहयि।
- **महत्त्वपूर्ण अभिक्रितताओं के साथ सहयोग:**
 - फ्रांस के साथ भारत की साझेदारी अब इंडो-पैसफिकि क्षेत्र में एक मज़बूत क्षेत्रीय सहयोग है।
 - भारत ब्रटिन के साथ व्यापार समझौते के लिये भी बातचीत में लगा हुआ है।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Reference URL: <https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/india-eu-trade-and-investment-agreements>

